

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

विज्ञापन संख्या. 171/2020

नोट: -1) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले कृपया वेबसाइट www.ncert.nic.in (घोषणा-रिक्ति-शैक्षणिक) पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से देखें।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) जो विद्यालय शिक्षा में शैक्षिक अनुसंधान, अध्यापक प्रशिक्षण और पाठ्यचर्या एवं अनुदेशी सामग्री के विकास के लिए शीर्षस्थ संगठन है, देशभर में स्थित अपने संघटक एककों हेतु साक्षात्कार के माध्यम से सीधी भर्ती के अंतर्गत विभिन्न अकादमिक पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करती है। ये पद अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग एवं नई दिल्ली में स्थित परिषद के संघटक एककों में स्थानांतरणीय हैं।

पद एवं रिक्तियाँ

| क्रम संख्या | विषय | विशेषज्ञता, यदि कोई हो | प्रोफेसर | | | | | एसोसिएट प्रोफेसर | | | | | सहायक प्रोफेसर | | | | | |
|-------------|--------------------|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------|---|
| | | | अ. जा. | अ. ज. जा. | अ. पि. व. | अ. नार. क्षि. त | ई. ड. ब्लू. ए. स. | अ. जा. | अ. ज. जा. | अ. पि. व. | अ. नार. क्षि. त | ई. ड. ब्लू. एस. | अ. जा. | अ. ज. जा. | अ. पि. व. | अ. नार. क्षि. त | ई. ड. ब्लू. ए. स. | |
| 1 | मनोविज्ञान | शैक्षिक मनोविज्ञान | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 2 | मनोविज्ञान/ शिक्षा | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | मार्गदर्शन एवं परामर्श | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | | मनोमिति | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 2.3 | | मापन और मूल्यांकन | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 2.4 | | शैक्षिक अनुसंधान | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | शिक्षा | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | शिक्षा का समाज शास्त्र | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2 | | शिक्षा का दर्शनशास्त्र | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.3 | | विशेष शिक्षा | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |

| क्रम सं. | विषय | विशेषज्ञता, यदि कोई हो | प्रोफेसर | | | | | एसोसिएट प्रोफेसर | | | | | सहायक प्रोफेसर | | | | |
|----------|------|---|----------|-------|-----------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------|----------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------|
| | | | अ. ज. | अ. ज. | अ. पि. व. | अ. नार. क्षि. त | ई. ड. ब्ल्यू. ए. स. | अ. ज. | अ. ज. जा. | अ. पि. व. | अ. नार. क्षि. त | ई. ड. ब्ल्यू. एस. | अ. ज. | अ. ज. जा. | अ. पि. व. | अ. नार. क्षि. त | ई. ड. ब्ल्यू. एस. |
| 3.4 | | महिला अध्ययन/जेण्डर अध्ययन/बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | 1 | - | 1 | |
| 3.5 | | अध्यापक शिक्षा | 1 | | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3.6 | | विज्ञान शिक्षा | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 3 |
| 3.7 | | प्रारंभिक शिक्षा | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 3.8 | | पर्यावरण शिक्षा | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.9 | | शिक्षा | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.10 | | सामाजिक विज्ञान शिक्षा | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | 1 | |
| 3.11 | | गणित शिक्षा | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 1 | |
| 3.12 | | तुलनात्मक शिक्षा | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 3.13 | | शैक्षिक योजना/ प्रबंधन | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 3.14 | | पाठ्यचर्या विकास/ अनुसंधान/ नीति | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 3.15 | | शैक्षिक प्रौद्योगिकी | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 3.16 | | शैक्षिक प्रौद्योगिकीमीडिया अनुसंधान एवं मूल्यांक | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 3.17 | | शैक्षिक प्रौद्योगिकी-मल्टीमीडिया | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 3.18 | | शैक्षिक प्रौद्योगिकी-फिक्स, मल्टीमीडिया | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |

| क्रम सं. | विषय | विशेषज्ञता, यदि कोई हो | प्रोफेसर | | | | | एसोसिएट प्रोफेसर | | | | | सहायक प्रोफेसर | | | | |
|----------|-------------------|--|----------|--------|---------|-------------------|-------|------------------|--------|---------|-------------------|-------|----------------|--------|---------|-------------------|---|
| | | | अ. ज. | अ. पि. | अ. नार. | ई. ड. ब्ल्यू. एस. | अ. ज. | अ. ज. | अ. पि. | अ. नार. | ई. ड. ब्ल्यू. एस. | अ. ज. | अ. ज. | अ. पि. | अ. नार. | ई. ड. ब्ल्यू. एस. | |
| 3.19 | | शैक्षिक प्रौद्योगिकी- मीडिया निर्माण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी | - | - | - | 1 | - | 1 | | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 3.20 | | शैक्षिक प्रौद्योगिकी- श्रव्य-दृश्य मीडिया निर्माण | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 3.21 | | व्यावसायिक शिक्षा | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 3.22 | शिक्षा/ सांख्यिकी | शैक्षिक सांख्यिकी | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 4 | बाल विकास | बाल विकास/प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 5 | भौतिकी | | - | - | 1 | - | - | 1 | | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | | |
| 6 | गणित | | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | |
| 7 | प्राणि विज्ञान | | 1 | - | - | - | - | 1 | | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 2 |
| 8 | रसायन विज्ञान | | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 9 | वनस्पति विज्ञान | | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 10 | सांख्यिकी | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 11 | समाज शास्त्र | | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 12 | इतिहास | | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |

| क्रम सं. | विषय | विशेषज्ञता, यदि कोई हो | प्रोफ़सर | | | | | एसोसिएट प्रोफ़सर | | | | | सहायक प्रोफ़सर | | | | |
|----------|--|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|------------------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|
| | | | अ. ज. ज. | अ. ज. जा. | अ. पि. व. | अ. ना. र. क्षि. त. | ई. ड. ब्ल्यू. ए. स. | अ. ज. | अ. ज. जा. | अ. पि. व. | अ. ना. र. क्षि. त. | ई. ड. ब्ल्यू. ए. स. | अ. ज. | अ. ज. जा. | अ. पि. व. | अ. ना. र. क्षि. त. | ई. ड. ब्ल्यू. ए. स. |
| 13 | वाणिज्य | व्यवसाय अध्ययन | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 14 | राजनीति विज्ञान | | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 15 | अर्थशास्त्र | | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
| 16 | भूगोल | | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | शारीरिक शिक्षा | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| 18 | जनसंख्या अध्ययन | | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | हिंदी | | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 20 | उर्दू | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 21 | अंग्रेजी | | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 22 | संस्कृत | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 23 | कन्नड | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 24 | उड़िया | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 25 | कला शिक्षा | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | |
| 26 | कला | रंगमंच/ अभिनय कला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 27 | भाषा शिक्षा | हिंदी/ अंग्रेजी / उर्दू / संस्कृत | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 |
| 28 | कंप्यूटर विज्ञान/ सॉफ्टवेयर निर्माण | | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | उद्यमिता प्रबंधन | | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | गृह विज्ञान | | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | जैवविज्ञान/ जैव-प्रौद्योगिकी /स्वास्थ्य विज्ञान/ भेषजी | | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |

| क्रम सं. | विषय | विशेषज्ञता, यदि कोई हो | प्रोफ़सर | | | | | एसोसिएट प्रोफ़सर | | | | | सहायक प्रोफ़सर | | | | |
|----------|--|--|----------|-------|--------|---------|---------------------|------------------|-------|--------|---------|---------------------|----------------|-------|--------|---------|---------------------|
| | | | अ. ज. | अ. ज. | अ. पि. | अ. नार. | ई. ड. ब्ल्यू. ए. स. | अ. ज. | अ. ज. | अ. पि. | अ. नार. | ई. ड. ब्ल्यू. ए. स. | अ. ज. | अ. ज. | अ. पि. | अ. नार. | ई. ड. ब्ल्यू. ए. स. |
| 32 | कृषि | पशुपालन/ मत्स्य पालन/ रेशम उत्पादन | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 33 | यांत्रिक अभियांत्रिकी | मैकैट्रोनिक्स/ इंस्ट्रुमेंटेशन/ ऑटोमोटिव/ मैकैट्रोनिक्स | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | सिविल अभियांत्रिकी | निर्माण / आंतरिक डिजाइन / वास्तुकला | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | इलेक्ट्रॉनिक्स /वैद्युत/ सूचना प्रौद्योगिकी | नवीकरणीय ऊर्जा | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 36 | व्यापार प्रबंधन | विपणन/खुदरा/ वित्त | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | बैंकिंग/ वित्त | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 38 | आतिथ्य, यात्रा एवं पर्यटन | | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 39 | सुरक्षा/रक्षा विज्ञान/ मिलिट्री विज्ञान | | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 40 | खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रसंस्करण | | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 41 | पुस्तकालया ध्यक्ष | | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| क्रम सं. | विषय | विशेषज्ञता, यदि कोई हो | प्रोफ़ेसर | | | | | एसोसिएट प्रोफ़ेसर | | | | | सहायक प्रोफ़ेसर | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|--------------------|---------------------|-------------------|-------|--------|--------------------|---------------------|-----------------|-------|--------|--------------------|---------------------|
| | | | अ. ज. | अ. ज. | अ. पि. | अ. ना. र. क्षि. त. | ई. ड. ब्ल्यू. ए. स. | अ. ज. | अ. ज. | अ. पि. | अ. ना. र. क्षि. त. | ई. ड. ब्ल्यू. ए. स. | अ. ज. | अ. ज. | अ. पि. | अ. ना. र. क्षि. त. | ई. ड. ब्ल्यू. ए. स. |
| 42 | सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| कुल (इसमें बकाया रिक्तियां शामिल हैं) | | | 6 | 3 | 12 | 14 | 4 | 24 | 10 | 38 | - | 11 | 16 | 8 | 59 | 29 | 32 |

नोट:

- क्रम संख्या 3.5, 3.9, 3.13, 11 में उल्लिखित एसोसिएट प्रोफ़ेसर और क्रम संख्या 3.10 में उल्लिखित सहायक प्रोफ़ेसर के पदों में से एक पद निश्कतजन श्रेणी आरक्षण के तहत दृष्टिबाधित व्यक्ति हेतु आरक्षित है।
- क्रम संख्या 2.1, 3.2, 3.3, 3.5, 21 और 27 में उल्लिखित सहायक प्रोफ़ेसर के पदों में से एक पद निश्कतजन श्रेणी आरक्षण के तहत श्रव्यबाधित व्यक्ति हेतु आरक्षित है।
- क्रम संख्या 7, 11, 12 और 16 में उल्लिखित सहायक प्रोफ़ेसर के पदों में से एक पद निश्कतजन श्रेणी आरक्षण के तहत अस्थि बाधित व्यक्ति हेतु आरक्षित है।

अनिवार्य अर्हताएँ

प्रोफ़ेसर, एसोसिएट प्रोफ़ेसर, सहायक प्रोफ़ेसर, पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष की आयु सीमा, शैक्षिक अर्हता, अनुभव और वेतनमान समय-समय पर संशोधित और ऑनलाइन आवेदन भरने की समापन तिथि के समय में लागू यूजीसी/एनसीईआरटी, भारत सरकार के प्रतिमानकों के अनुसार होंगे।

वेतनमान

(क) प्रोफ़ेसर / पुस्तकालयाध्यक्ष: अकादमिक स्तर 14 के साथ युक्तिसंगत प्रवेश वेतन: रु. 1,44,200/- (पूर्व-संशोधित वेतनमान: रु .37,400-67,000 एजीपी -10,000 के साथ)

(ख) एसोसिएट प्रोफ़ेसर: अकादमिक स्तर 13ए साथ युक्तिसंगत प्रवेश वेतन: रु. 1,31,400/- (पूर्व-संशोधित वेतनमान: रु .37,400-67,000 एजीपी -9,000 के साथ)

(ग) सहायक प्रोफ़ेसर / सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष: अकादमिक स्तर 10 के साथ युक्तिसंगत प्रवेश वेतन : रु 57,700/- (पूर्व-संशोधित वेतनमान: रु. 15,600-39,100 एजीपी-6,000 के साथ)

यूजीसी द्वारा निर्धारित अनिवार्य अर्हताओं के अलावा, अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए उल्लिखित निम्नलिखित अर्हताओं को भी पूरा करना होगा: -

| क्रम संख्या | पद | अनिवार्य अर्हताएँ | वांछनीय अर्हताएँ |
|-------------|----|-------------------|------------------|
|-------------|----|-------------------|------------------|

| | | | | |
|-----|--------------------|------------------------|--|--|
| 1 | मनोविज्ञान | शैक्षिक मनोविज्ञान | | |
| | प्रोफेसर | | 1. मनोविज्ञान में एम.ए. 2. मनोविज्ञान में पीएच.डी. | शैक्षिक मनोविज्ञान में विशेषज्ञता |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | 1. 55% अंकों के साथ मनोविज्ञान में एम.ए. 2. मनोविज्ञान में पीएच.डी. | शैक्षिक मनोविज्ञान में विशेषज्ञता |
| | सहायक प्रोफेसर | | 1. 55% अंकों के साथ मनोविज्ञान में एम.ए. 2. मनोविज्ञान में नेट | शैक्षिक मनोविज्ञान में विशेषज्ञता |
| 2 | मनोविज्ञान /शिक्षा | | | |
| 2.1 | | मार्गदर्शन एवं परामर्श | | |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | 1. 55% अंकों के साथ एम.एड./एम.ए. (शिक्षा)/ मनोविज्ञान में एम.ए. 2. शिक्षा/मनोविज्ञान में पीएच.डी. | मास्टर डिग्री/एम.फिल. स्तर पर मार्गदर्शन एवं परामर्श में विशेषज्ञता या मार्गदर्शन एवं परामर्श में स्नातकोत्तर डिप्लोमा |
| | सहायक प्रोफेसर | | 1. 55% अंकों के साथ एम.एड./एम.ए. (शिक्षा)/ मनोविज्ञान में एम.ए. 2. शिक्षा/मनोविज्ञान में नेट | मास्टर डिग्री/एम.फिल. स्तर पर मार्गदर्शन एवं परामर्श में विशेषज्ञता या मार्गदर्शन एवं परामर्श में स्नातकोत्तर डिप्लोमा |
| 2.2 | | मनोमिति | | |
| | सहायक प्रोफेसर | | 1. 55% अंकों के साथ मनोविज्ञान में एम.ए./ एम.एड. या एम.ए. (शिक्षा) 2. शिक्षा/मनोविज्ञान में नेट | मास्टर डिग्री/एम.फिल. स्तर पर मनोमिति/ शैक्षिक अनुसंधान / मापन और मूल्यांकन में विशेषज्ञता या मनोमिति/ शैक्षिक अनुसंधान / मापन और मूल्यांकन में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |

| क्रम संख्या | पद | | अनिवार्य अर्हताएँ | वांछनीय अर्हताएँ |
|-------------|------------------|-------------------|---|--|
| 2.3 | | मापन और मूल्यांकन | | |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 55% अंकों के साथ एम.एड./ एम.ए.(शिक्षा) 2. शिक्षा में पीएच.डी. | स्नातकोत्तर स्तर पर मापन और मूल्यांकन में विशेषज्ञता या मापन और मूल्यांकन के क्षेत्र में एम.फिल./पी.एच.डी. , मापन और मूल्यांकन के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |
| | सहायक प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 55% अंकों के साथ एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) 2. शिक्षा में नेट | स्नातकोत्तर स्तर पर मापन और मूल्यांकन में विशेषज्ञता या मापन और मूल्यांकन के क्षेत्र में एम.फिल./पी.एच.डी. , मापन और मूल्यांकन के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |
| 2.4 | | शैक्षिक शोध | | |
| | प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) 2. शिक्षा में पीएच.डी. | शैक्षिक अनुसंधान में पर्याप्त अनुभव |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 55% अंकों के साथ एम.एड./ एम.ए.(शिक्षा) 2. शिक्षा में पीएच.डी. | शैक्षिक अनुसंधान में पर्याप्त अनुभव |

| क्रम संख्या | पद | | अनिवार्य अर्हताएँ | वांछनीय अर्हताएँ |
|-------------|------------------|------------------------|--|---|
| 3 | शिक्षा | | | |
| 3.1 | | शिक्षा का समाज शास्त्र | | |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 55% अंकों के साथ एम.एड/ एम.ए. (शिक्षा)/ समाजशास्त्र में एम.ए. 2. समाजशास्त्र/शिक्षा में पीएच.डी | 55% अंकों के साथ समाज कार्य में एम.ए या स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा के समाजशास्त्र के क्षेत्र में विशेषज्ञता या शिक्षा के समाजशास्त्र के क्षेत्र में एम.फिल./पीएच.डी या शिक्षा के समाजशास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो |
| | सहायक प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 55% अंकों के साथ एम.एड/ एम.ए. (शिक्षा) 2. 55% अंकों के साथ समाजशास्त्र में एम.ए. 3. शिक्षा में नेट | 55% अंकों के साथ समाज कार्य में एम.ए या स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा के समाजशास्त्र के क्षेत्र में विशेषज्ञता या शिक्षा के समाजशास्त्र के क्षेत्र में एम.फिल./पीएच.डी या शिक्षा के समाजशास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो |
| 3.2 | | शिक्षा का दर्शन | | |
| | सहायक प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 55% अंकों के साथ एम.एड./एम.ए. (शिक्षा) 2. 55% अंकों के साथ दर्शनशास्त्र में एम.ए. 3. शिक्षा में नेट | स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा के दर्शनशास्त्र में विशेषज्ञता या शिक्षा के दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में एम.फिल./पीएच.डी या शिक्षा के दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |

| क्रम संख्या | पद | | अनिवार्य अर्हताएँ | वांछनीय अर्हताएँ |
|-------------|------------------|--------------|--|--|
| 3.3 | | विशेष शिक्षा | | |
| | प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. एम.एड./ एम.ए.(शिक्षा) 2. शिक्षा में पीएच.डी. | स्नातकोत्तर स्तर पर विशेष शिक्षा/समावेशी शिक्षा में विशेषज्ञता या विशेष/समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में एम.फिल./पीएच.डी. या विशेष / समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 55% अंकों के साथ एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) 2. शिक्षा में पीएच.डी. | स्नातकोत्तर स्तर पर विशेष शिक्षा/समावेशी शिक्षा में विशेषज्ञता या विशेष/समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में एम.फिल./पीएच.डी. या विशेष / समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |
| | सहायक प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 55% अंकों के साथ एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) 2. शिक्षा में नेट | स्नातकोत्तर स्तर पर विशेष शिक्षा/समावेशी शिक्षा में विशेषज्ञता या विशेष/समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में एम.फिल./पीएच.डी. या विशेष/ समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |

| क्रम संख्या | पद | | अनिवार्य अर्हताएँ | वांछनीय अर्हताएँ |
|-------------|------------------|---|---|--|
| 3.4 | | महिला अध्ययन/ जेण्डर अध्ययन/ बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण | | |
| | सहायक प्रोफेसर | | 1. 55% अंकों के साथ एम.एड./ एम.ए.(शिक्षा) और 2. शिक्षा में नेट | स्नातकोत्तर स्तर पर महिला अध्ययन/जेण्डर अध्ययन में विशेषज्ञता या महिला अध्ययन/जेण्डर अध्ययन/ बालिका शिक्षा/ महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एम.फिल./पीएच.डी. या महिला अध्ययन/जेण्डर अध्ययन/ बालिका शिक्षा/महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |
| 3.5 | | अध्यापक शिक्षा | | |
| | प्रोफेसर | | 1. एम.एड./ एम.ए.(शिक्षा) 2. शिक्षा में पीएच.डी. | स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापक शिक्षा में विशेषज्ञता या अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में एम.फिल/पीएच.डी. या अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | 1. 55% अंकों के साथ एम.एड./ एम.ए.(शिक्षा) 2. शिक्षा में पीएच.डी. | स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापक शिक्षा में विशेषज्ञता या अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में एम.फिल/पीएच.डी. या अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |
| | सहायक प्रोफेसर | | 1. 55% अंकों के साथ एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) 2. शिक्षा में नेट | गणित/विज्ञान के किसी भी विद्यालयी विषय/सामाजिक विज्ञान के किसी भी विद्यालयी विषय/भाषा हिंदी/अंग्रेज़ी/ में स्नातकोत्तर या स्नातकोत्तर डिग्री स्तर पर अध्यापक शिक्षा में विशेषज्ञता या शिक्षक के क्षेत्र में एम.फिल/ पीएच.डी |

| क्रम संख्या | पद | | अनिवार्य अर्हताएँ | वांछनीय अर्हताएँ |
|-------------|------------------|----------------|---|------------------|
| 3.6 | | विज्ञान शिक्षा | | |
| | प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) 2. भौतिकी/ रसायन विज्ञान/ वनस्पति-विज्ञान/ प्राणि-विज्ञान/ जीव विज्ञान में एम.एससी. 3. शिक्षा में पीएच.डी. | |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 55% अंकों के साथ एम.एड./ एम.ए.(शिक्षा) 2. 55% अंकों के साथ भौतिकी/ रसायन विज्ञान/ वनस्पति-विज्ञान/ प्राणि-विज्ञान/ जीव विज्ञान में एम.एससी. 3. शिक्षा में पीएच.डी. | |
| | सहायक प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 55% अंकों के साथ एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) 2. 55% अंकों के साथ भौतिकी/ रसायन विज्ञान/ वनस्पति-विज्ञान/ प्राणि-विज्ञान/ जीव विज्ञान में एम.एससी. 3. शिक्षा में नेट | |

| क्रम संख्या | पद | | अनिवार्य अर्हताएँ | वांछनीय अर्हताएँ |
|-------------|------------------|------------------|--|---|
| 3.7 | | प्रारंभिक शिक्षा | | |
| | प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) 2. शिक्षा में पीएच.डी. | स्नातकोत्तर स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा में विशेषज्ञता या प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में एम.फिल./पीएच.डी. या प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 55% अंकों के साथ एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) 2. शिक्षा में पीएच.डी. | स्नातकोत्तर स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा में विशेषज्ञता या प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में एम.फिल./पीएच.डी. या प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |
| | सहायक प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 55% अंकों के साथ एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) 2. शिक्षा में नेट | स्नातकोत्तर स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा में विशेषज्ञता या प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में एम.फिल./पीएच.डी. या प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |

| क्रम संख्या | पद | | अनिवार्य अर्हताएँ | वांछनीय अर्हताएँ |
|-------------|------------------|-----------------|--|--|
| 3.8 | | पर्यावरण शिक्षा | | |
| | प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा)/ पर्यावरण शिक्षा / पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री 2. पर्यावरण शिक्षा / पर्यावरण विज्ञान / शिक्षा में पीएच.डी. | स्नातकोत्तर डिग्री स्तर पर पर्यावरण शिक्षा में विशेषज्ञता या पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में एम.फिल. या अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 55% अंकों के साथ एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) / पर्यावरण शिक्षा / पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री 2. पर्यावरण शिक्षा / पर्यावरण विज्ञान/ शिक्षा में पीएच.डी. | स्नातकोत्तर डिग्री स्तर पर पर्यावरण शिक्षा में विशेषज्ञता या पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में एम.फिल. या अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |
| 3.9 | | शिक्षा | | |
| | प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) 2. शिक्षा में पीएच.डी. | शैक्षिक मनोविज्ञान / मार्गदर्शन और परामर्श / विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षण/ शैक्षिक दर्शन / व्यापक शिक्षा / शैक्षिक प्रौद्योगिकी / स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा और योग / प्रारंभिक शिक्षा / शिक्षा का समाजशास्त्र में विशेषज्ञता |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 55% अंकों के साथ एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) 2. शिक्षा में पीएच.डी. | शैक्षिक मनोविज्ञान/मार्गदर्शन और परामर्श / विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षण/शैक्षिक दर्शन / व्यापक शिक्षा/शैक्षिक प्रौद्योगिकी / स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा और योग/प्रारंभिक शिक्षा / शिक्षा का समाजशास्त्र में विशेषज्ञता |

| क्रम संख्या | पद | | अनिवार्य अर्हताएँ | वांछनीय अर्हताएँ |
|-------------|----------------|------------------------|--|--|
| 3.10 | | सामाजिक विज्ञान शिक्षा | | |
| | सहायक प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 55% अंकों के साथ एम.एड./एम.ए. (शिक्षा) 2. 55% अंकों के साथ समाजशास्त्र/ भूगोल/ इतिहास/ अर्थशास्त्र/ राजनीति विज्ञान में एम.ए. 3. शिक्षा में नेट | |
| 3.11 | | गणित शिक्षा | | |
| | सहायक प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 55% अंकों के साथ एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) 2. 55% अंकों के साथ गणित में एम.एससी./एम.ए. 3. शिक्षा में नेट | |
| 3.12 | | तुलनात्मक शिक्षा | | |
| | प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. एम.एड./ एम.ए.(शिक्षा) 2. शिक्षा में पीएच.डी. | विद्यालयी विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर स्तर पर तुलनात्मक शिक्षा में विशेषज्ञता या तुलनात्मक शिक्षा के क्षेत्र में एम.फिल./पीएच.डी. या तुलनात्मक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |
| | सहायक प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 55% अंकों के साथ एम.एड./ एम.ए.(शिक्षा) 2. शिक्षा में नेट | विद्यालयी विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर स्तर पर तुलनात्मक शिक्षा में विशेषज्ञता या तुलनात्मक शिक्षा के क्षेत्र में एम.फिल./पीएच.डी. या तुलनात्मक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |

| क्रम संख्या | पद | | अनिवार्य अर्हताएँ | वांछनीय अर्हताएँ |
|-------------|------------------|----------------------------------|--|--|
| 3.13 | | शैक्षिक योजना/प्रबंधन | | |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 55% अंकों के साथ एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) शिक्षा में पीएच.डी. | लोक प्रशासन/ विद्यालयी विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर स्तर पर शैक्षिक प्रशासन/ योजना/प्रबंधन में विशेषज्ञता या शैक्षिक प्रशासन/योजना/प्रबंधन के क्षेत्र में एम.फिल./पीएच.डी. या शैक्षिक प्रशासन/ योजना/प्रबंधन में विशेषज्ञता या शैक्षिक प्रशासन/योजना/प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |
| 3.14 | | पाठ्यचर्या विकास/ अनुसंधान/ नीति | | |
| | प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) शिक्षा में पीएच.डी. | पाठ्यचर्या विकास/ शैक्षिक नीति में एम.फिल./पीएच.डी. या पाठ्यचर्या विकास/ शैक्षिक नीति के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 55% अंकों के साथ एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) शिक्षा में पीएच.डी. | पाठ्यचर्या विकास/ शैक्षिक नीति में एम.फिल./पीएच.डी. या पाठ्यचर्या विकास/ शैक्षिक नीति के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |
| | सहायक प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 55% अंकों के साथ एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) शिक्षा में नेट | पाठ्यचर्या विकास/ शैक्षिक नीति में एम.फिल./पीएच.डी. या पाठ्यचर्या विकास/ शैक्षिक नीति के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |

| क्रम संख्या | पद | | अनिवार्य अर्हताएँ | वांछनीय अर्हताएँ |
|-------------|------------------|--|---|---|
| 3.15 | | शैक्षिक प्रौद्योगिकी | | |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 55% अंकों के साथ एम.एड./ एम.ए.(शिक्षा) शिक्षा में पीएच.डी. | स्नातकोत्तर स्तर पर शैक्षिक प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता या शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एम.फिल./पीएच.डी. या शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |
| 3.16 | | शैक्षिक प्रौद्योगिकी-मीडिया, अनुसंधान और मूल्यांकन | | |
| | प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> एम.एड. / एम.ए. (शिक्षा)/ एम.टेक. (शैक्षणिक प्रौद्योगिकी /सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी/ई-अधिगम/ ऑनलाइन-अधिगम)/ ललित कला में मास्टर डिग्री शिक्षा/ललित कला में पीएच.डी. | स्नातकोत्तर स्तर पर मीडिया अनुसंधान और मूल्यांकन में विशेषज्ञता या मीडिया अनुसंधान और मूल्यांकन के क्षेत्र में एम.फिल./पीएच.डी. या मीडिया अनुसंधान और मूल्यांकन के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 55% अंकों के साथ एम.एड./ एम.ए.(शिक्षा)/ एम.टेक. (शैक्षणिक प्रौद्योगिकी/ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी/ई-अधिगम/ ऑनलाइन-अधिगम)/ ललित कला में मास्टर डिग्री शिक्षा/ललित कला में पीएच.डी. | स्नातकोत्तर स्तर पर मीडिया अनुसंधान और मूल्यांकन के क्षेत्र में विशेषज्ञता या मीडिया अनुसंधान और मूल्यांकन में एम.फिल./पीएच.डी. या मीडिया अनुसंधान और मूल्यांकन के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |

| क्रम संख्या | पद | | अनिवार्य अर्हताएँ | वांछनीय अर्हताएँ |
|-------------|------------------|------------------------------------|---|---|
| 3.17 | | शैक्षिक प्रौद्योगिकी - मल्टीमीडिया | | |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 55% अंकों के साथ एम.एड. / एम.ए.(शिक्षा)/ एम.टेक. (शैक्षणिक प्रौद्योगिकी/सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी/ई-अधिगम/ ऑनलाइन-अधिगम)/ ललित कला/दृश्य कला/डिज़ाइन/मल्टीमीडिया/ कंप्यूटर अनुप्रयोग/ कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर ललित कला/दृश्य कला/ डिज़ाइन/मल्टीमीडिया/ कंप्यूटर अनुप्रयोग/ कंप्यूटर विज्ञान/शिक्षा में पीएच.डी | विद्यालयी विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर स्तर पर डिजाइन ऑफ इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया/एआर-वीआर/ई-सामग्री में विशेषज्ञता या डिजाइन इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया /एआर वीआर/ ई-सामग्री में एम.फिल./पीएच.डी. या डिजाइन इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया /एआरवीआर/ ई-सामग्री के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |

| क्रम सं | पद | | अनिवार्य अर्हताएँ | वांछनीय अर्हताएँ |
|---------|------------------|---|---|--|
| 3.18 | | शैक्षिक प्रौद्योगिकी-ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया | | |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 55% अंकों के साथ एम.एड. / एम.ए.(शिक्षा)/ एम.टेक. (शैक्षणिक प्रौद्योगिकी/ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी/ई-अधिगम/ ऑनलाइन-अधिगम)/ ललित कला/दृश्य कला/डिज़ाइन/मल्टीमीडिया/ कंप्यूटर अनुप्रयोग/ कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर ललित कला/दृश्य कला/डिज़ाइन/मल्टीमीडिया/ कंप्यूटर अनुप्रयोग/ कंप्यूटर विज्ञान/ शिक्षा में पीएच.डी. | विद्यालयी विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर स्तर पर ग्राफिक्स मल्टीमीडिया/ई-सामग्री में विशेषज्ञता या ग्राफिक्स मल्टीमीडिया /ई-सामग्री के क्षेत्र में एम.फिल./पीएच.डी. या ग्राफिक्स मल्टीमीडिया / ई-सामग्री के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |
| | सहायक प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 55% अंकों के साथ एम.एड. / एम.ए.(शिक्षा)/ एम.टेक. (शैक्षणिक प्रौद्योगिकी/सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी/ई-अधिगम/ ऑनलाइन-अधिगम)/ ललित कला/दृश्य कला/डिज़ाइन/मल्टीमीडिया/ कंप्यूटर अनुप्रयोग/ कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर ललित कला/दृश्य कला/डिज़ाइन/मल्टीमीडिया/ कंप्यूटर अनुप्रयोग/ कंप्यूटर विज्ञान/ शिक्षा में नेट | विद्यालयी विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर स्तर पर ग्राफिक्स मल्टीमीडिया/ई-सामग्री में विशेषज्ञता या ग्राफिक्स मल्टीमीडिया /ई-सामग्री के क्षेत्र में एम.फिल./पीएच.डी. या ग्राफिक्स मल्टीमीडिया / ई-सामग्री के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |

| क्रम सं | पद | | अनिवार्य अर्हताएँ | वांछनीय अर्हताएँ |
|---------|------------------|---|--|---|
| 3.19 | | शैक्षिक प्रौद्योगिकी-मीडिया निर्माण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी | | |
| | प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. पत्रकारिता/जन संचार में स्नातकोत्तर/ एम.टेक. (शैक्षिक प्रौद्योगिकी/सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी)/एम.एड./ एम.ए.(शिक्षा) 2. पत्रकारिता/जन संचार/ शिक्षा में पीएच.डी. | <p>विद्यालयी विषयों (विज्ञान/सामाजिकविज्ञान/हिंदी/अंग्रेज़ी/ गणित) में स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर स्तर पर मीडिया कार्यक्रम निर्माण / ई-सामग्री विकास / ऑडियो-रेडियो कार्यक्रम निर्माण में विशेषज्ञता या मीडिया कार्यक्रम निर्माण / ई-सामग्री विकास / ऑडियो-रेडियो कार्यक्रम निर्माण के क्षेत्र में एम.फिल./पीएच.डी. या मीडिया कार्यक्रम निर्माण/ई-सामग्री विकास / ऑडियो-रेडियो कार्यक्रम निर्माण के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो।</p> |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 55% अंकों के साथ पत्रकारिता/जन संचार में स्नातकोत्तर/ एम.टेक. (शैक्षिक प्रौद्योगिकी/सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी)/ एम.एड./ एम.ए.(शिक्षा) 2. पत्रकारिता/जन संचार/ शिक्षा में पीएच.डी. | <p>विद्यालयी विषयों (विज्ञान/सामाजिकविज्ञान/हिंदी/अंग्रेज़ी/गणित) में स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर स्तर पर मीडिया कार्यक्रम निर्माण / ई-सामग्री विकास / ऑडियो-रेडियो कार्यक्रम निर्माण में विशेषज्ञता या मीडिया कार्यक्रम निर्माण / ई-सामग्री विकास / ऑडियो-रेडियो कार्यक्रम निर्माण के क्षेत्र में एम.फिल./पीएच.डी. या मीडिया कार्यक्रम निर्माण/ई-सामग्री विकास / ऑडियो-रेडियो कार्यक्रम निर्माण के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो।</p> |

| | | | | |
|------|-----------------|---|---|---|
| | सहायक प्रोफ़ेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 55% अंकों के साथ पत्रकारिता/जन संचार में स्नातकोत्तर /एम.टेक. (शैक्षिक प्रौद्योगिकी/सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी/ एम.एड./ एम.ए.(शिक्षा) पत्रकारिता/जन संचार/ शिक्षा में नेट | विद्यालयी विषयों (विज्ञान/सामाजिकविज्ञान/हिंदी/अंग्रेज़ी/गणित) में स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर स्तर पर मीडिया कार्यक्रम निर्माण / ई-सामग्री विकास / ऑडियो-रेडियो कार्यक्रम निर्माण में विशेषज्ञता या मीडिया कार्यक्रम निर्माण / ई-सामग्री विकास / ऑडियो-रेडियो कार्यक्रम निर्माण के क्षेत्र में एम.फिल./पीएच.डी. या मीडिया कार्यक्रम निर्माण/ई-सामग्री विकास /ऑडियो-रेडियो कार्यक्रम निर्माण के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |
| 3.20 | | शैक्षिक प्रौद्योगिकी - प्रौद्योगिकी-श्रव्य-दृश्य मीडिया निर्माण | | |
| | सहायक प्रोफ़ेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 55% अंकों के साथ पत्रकारिता/जन संचार में स्नातकोत्तर/ एम.टेक. (शैक्षिक प्रौद्योगिकी/ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) / एम.एड./ एम.ए.(शिक्षा) पत्रकारिता/जन संचार/ शिक्षा में नेट | विद्यालयी विषयों (विज्ञान/सामाजिकविज्ञान/हिंदी/अंग्रेज़ी/गणित) में स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री स्तर पर मीडिया कार्यक्रम निर्माण / ई-सामग्री विकास/ऑडियो-रेडियो कार्यक्रम निर्माण/ स्क्रिप्ट लेखन / स्टोरी बोर्डिंग / ऑनलाइन अधिगम-शिक्षण में विशेषज्ञता या मीडिया कार्यक्रम निर्माण / ई-सामग्री विकास / ऑडियो-रेडियो कार्यक्रम निर्माण/ स्क्रिप्ट लेखन / स्टोरी बोर्डिंग / ऑनलाइन अधिगम शिक्षण क्षेत्र में एम.फिल./पीएच.डी. या मीडिया कार्यक्रम निर्माण / ई-सामग्री विकास /ऑडियो-रेडियो कार्यक्रम निर्माण/ स्क्रिप्ट लेखन /स्टोरी बोर्डिंग/ऑनलाइन अधिगम शिक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |

| क्रम सं | पद | | अनिवार्य अर्हताएँ | वांछनीय अर्हताएँ |
|---------|-------------------|-------------------|--|---|
| 3.21 | | व्यावसायिक शिक्षा | | |
| | प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. एम.एड./एम.ए. (शिक्षा)/ विपणन प्रबंधन/ सुरक्षा/ रक्षा विज्ञान/ खाद्य प्रौद्योगिकी/ कृषि में स्नातकोत्तर 2. शिक्षा/ विपणन प्रबंधन/ सुरक्षा/ रक्षा विज्ञान/ खाद्य प्रौद्योगिकी/ कृषि में पीएच.डी | स्नातकोत्तर स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा में विशेषज्ञता या व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में एम.फिल./पीएच.डी. या व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 55% अंकों के साथ एम.एड./ एम.ए.(शिक्षा)/ विपणन प्रबंधन/ सुरक्षा/ रक्षा विज्ञान/ खाद्य प्रौद्योगिकी/ कृषि में स्नातकोत्तर 2. शिक्षा/ विपणन प्रबंधन/ सुरक्षा/ रक्षा विज्ञान/ खाद्य प्रौद्योगिकी/ कृषि में पीएच.डी | स्नातकोत्तर डिग्री स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा में विशेषज्ञता या व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में एम.फिल./पीएच.डी. या व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |
| 3.22 | शिक्षा/ सांख्यिकी | शैक्षिक सांख्यिकी | | |
| | सहायक प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 55% अंकों के साथ एम.एड. / एम.ए. (शिक्षा)/सांख्यिकी में स्नातकोत्तर 2. शिक्षा/सांख्यिकी में नेट | उच्च शैक्षिक सांख्यिकी में विशिष्टता |

| क्रम सं | पद | | अनिवार्य अर्हताएँ | वांछनीय अर्हताएँ |
|---------|------------------|--|---|--|
| 4 | बाल विकास | बाल विकास/ प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा | | |
| | प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. एम.एड./ एम.ए.(शिक्षा)/ मनोविज्ञान / गृह विज्ञान में मास्टर डिग्री 2. शिक्षा/ मनोविज्ञान/गृह विज्ञान में पीएच.डी. | स्नातकोत्तर स्तर पर प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा/विद्यालय-पूर्व शिक्षा में विशेषज्ञता या प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा/विद्यालय-पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में एम.फिल./पीएच.डी. या प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा/विद्यालय-पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 55% अंकों के साथ एम.एड./ एम.ए.(शिक्षा)/ मनोविज्ञान/गृह विज्ञान में मास्टर डिग्री 2. शिक्षा /मनोविज्ञान/गृह विज्ञान में पीएच.डी. | स्नातकोत्तर स्तर पर प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा/विद्यालय-पूर्व शिक्षा में विशेषज्ञता या प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा/विद्यालय-पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में एम.फिल./पीएच.डी. या प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा/ विद्यालय-पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |
| | सहायक प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 55% अंकों के साथ एम.एड./ एम.ए.(शिक्षा)/ मनोविज्ञान/गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री 2. शिक्षा/ मनोविज्ञान/गृह विज्ञान में नेट | स्नातकोत्तर स्तर पर प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा/विद्यालय-पूर्व शिक्षा में विशेषज्ञता या प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा/विद्यालय-पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में एम.फिल./पीएच.डी. या प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा/ विद्यालय-पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |

| क्रम सं | पद | | अनिवार्य अर्हताएँ | वांछनीय अर्हताएँ |
|---------|-----------------------|--|--|------------------------|
| 5 | भौतिकी | | | |
| | प्रोफेसर | | 1. भौतिकी में एम.एससी. 2. भौतिकी में पीएच.डी. | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | 1. 55% अंकों के साथ भौतिकी में एम.एससी. 2. भौतिकी में पीएच.डी. | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |
| | सहायक प्रोफेसर | | 1. 55% अंकों के साथ भौतिकी में एम.एससी. 2. भौतिकी में नेट | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |
| 6 | गणित | | | |
| | प्रोफेसर | | 1. गणित में एम.एससी. 2. गणित में पीएच.डी. | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | 1. 55% अंकों के साथ गणित में एम.एससी. 2. गणित में पीएच.डी. | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |
| | सहायक प्रोफेसर | | 1. 55% अंकों के साथ गणित में एम.एससी. 2. गणित में नेट | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |
| 7 | प्राणि-विज्ञान | | | |
| | प्रोफेसर | | 1. प्राणिविज्ञान में एम.एससी. 2. प्राणिविज्ञान में पीएच.डी. | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | 1. 55% अंकों के साथ प्राणिविज्ञान में एम.एससी. 2. प्राणिविज्ञान में पी.एच.डी. | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |
| | सहायक प्रोफेसर | | 1. 55% अंकों के साथ प्राणिविज्ञान में एम.एससी. 2. प्राणिविज्ञान में नेट | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |

| क्रम सं | पद | | अनिवार्य अर्हताएँ | वांछनीय अर्हताएँ |
|---------|------------------|--|---|------------------------|
| 8 | रसायन विज्ञान | | | |
| | प्रोफेसर | | 1. रसायन विज्ञान में एम.एससी. 2. रसायन विज्ञान में पीएच.डी. | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | 1. 55% अंकों के साथ रसायन विज्ञान में एम.एससी. 2. रसायन विज्ञान में पीएच.डी. | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |
| | सहायक प्रोफेसर | | 1. 55% अंकों के साथ रसायन विज्ञान में एम.एससी. 2. रसायन विज्ञान में नेट | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |
| 9 | वनस्पति-विज्ञान | | | |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | 1. 55% अंकों के साथ वनस्पति-विज्ञान में एम.एससी. 2. वनस्पति-विज्ञान में पीएच.डी. | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |
| | सहायक प्रोफेसर | | 1. 55% अंकों के साथ वनस्पति-विज्ञान में एम.एससी. 2. वनस्पति-विज्ञान में नेट | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |
| 10 | सांख्यिकी | | | |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | 1. 55% अंकों के साथ सांख्यिकी में एम.ए./ एम.एससी. 2. सांख्यिकी में पीएच.डी. | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |

| क्रम सं | पद | | अनिवार्य अर्हताएँ | वांछनीय अर्हताएँ |
|---------|------------------|--|--|------------------------|
| 11 | समाजशास्त्र | | | |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | 1. 55% अंकों के साथ समाजशास्त्र/समाज कार्य में एम.एससी/ एम.ए 2. समाजशास्त्र/समाज कार्य में पीएच.डी. | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |
| | सहायक प्रोफेसर | | 1. 55% अंकों के साथ समाजशास्त्र/समाज कार्य में एम.एससी/ एम.ए 2. समाजशास्त्र/समाज कार्य में नेट | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |
| 12 | इतिहास | | | |
| | प्रोफेसर | | 1. इतिहास में एम.ए. 2. इतिहास में पीएच.डी | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |
| | सहायक प्रोफेसर | | 1. 55% अंकों के साथ इतिहास में एम.ए. 2. इतिहास में नेट | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |
| 13 | वाणिज्य | | | |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | 1. 55% अंकों के साथ वाणिज्य में स्नात्कोत्तर 2. वाणिज्य में पीएच.डी. | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |
| | सहायक प्रोफेसर | | 1. 55% अंकों के साथ वाणिज्य में एम.ए. 2. वाणिज्य में नेट | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |

| क्रम सं | पद | | अनिवार्य अर्हताएँ | वांछनीय अर्हताएँ |
|---------|------------------|--|--|------------------------|
| 14 | राजनीति विज्ञान | | | |
| | प्रोफेसर | | 1. राजनीति विज्ञान में एम.ए. 2. राजनीति विज्ञान में पीएच.डी. | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | 1. 55% अंकों के साथ राजनीति विज्ञान में एम.ए. 2. राजनीति विज्ञान में पीएच.डी. | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |
| | सहायक प्रोफेसर | | 1. 55% अंकों के साथ राजनीति विज्ञान में एम.ए. 2. राजनीति विज्ञान में नेट | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |
| 15 | अर्थशास्त्र | | | |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | 1. 55% अंकों के साथ अर्थशास्त्र में एम.ए. 2. अर्थशास्त्र में पीएच.डी. | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |
| | सहायक प्रोफेसर | | 1. 55% अंकों के साथ अर्थशास्त्र में एम.ए. 2. अर्थशास्त्र में नेट | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |
| 16 | भूगोल | | | |
| | प्रोफेसर | | 1. भूगोल में एम.ए. 2. भूगोल में पीएच.डी. | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |
| | सहायक प्रोफेसर | | 1. 55% अंकों के साथ भूगोल में एम.ए. 2. भूगोल में नेट | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |

| क्रम सं | पद | | अनिवार्य अर्हताएँ | वांछनीय अर्हताएँ |
|---------|------------------|--|---|---|
| 17 | शारीरिक शिक्षा | | | |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 55% अंकों के साथ एम.पी.एड. /एम.पी.ई. (शारीरिक शिक्षा) शारीरिक शिक्षा में पीएच.डी. | एम.एड./एम.ए (शिक्षा) या स्नातकोत्तर स्तर पर स्वास्थ्य और/या शारीरिक शिक्षा, योग में विशेषज्ञता या स्वास्थ्य और /या शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एम.फिल./पीएच.डी. या स्वास्थ्य और/या शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |
| | सहायक प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 55% अंकों के साथ एम.पी.एड. /एम.पी.ई. (शारीरिक शिक्षा) शारीरिक शिक्षा में नेट | एम.एड./एम.ए (शिक्षा) या स्नातकोत्तर स्तर पर स्वास्थ्य और/या शारीरिक शिक्षा, योग में विशेषज्ञता या स्वास्थ्य और /या शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एम.फिल./पीएच.डी. या स्वास्थ्य और/या शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |
| 18 | जनसंख्या अध्ययन | | | |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 55% अंकों के साथ भूगोल/अर्थशास्त्र/ जनसांख्यिकी/जनसंख्या अध्ययन में स्नातकोत्तर भूगोल/अर्थशास्त्र/ जनसांख्यिकी/ जनसंख्या अध्ययन में पीएच.डी. | 55% अंकों के साथ एम.एड./एम.ए (शिक्षा) या स्नातकोत्तर डिग्री स्तर पर जनसंख्या अध्ययन में विशेषज्ञता या जनसंख्या अध्ययन क्षेत्र में एम.फिल / पीएच.डी या जनसंख्या अध्ययन के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना (लघु या व्यापक) पर कार्य पूरा किया हो। |
| 19 | हिंदी | | | |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 55% अंकों के साथ हिंदी में एम.ए. हिंदी में पीएच.डी. | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |

| क्रम सं | पद | | अनिवार्य अर्हताएँ | वांछनीय अर्हताएँ |
|---------|------------------|--|---|------------------------|
| 20 | उर्दू | | | |
| | सहायक प्रोफेसर | | 1. 55% अंकों के साथ उर्दू में एम.ए. 2. उर्दू में नेट | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |
| 21 | अंग्रेजी | | | |
| | प्रोफेसर | | 1. अंग्रेजी में एम.ए. 2. अंग्रेजी में पीएच.डी. | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | 1. 55% अंकों के साथ अंग्रेजी में एम.ए. 2. अंग्रेजी में पीएच.डी. | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |
| | सहायक प्रोफेसर | | 1. 55% अंकों के साथ अंग्रेजी में एम.ए. 2. अंग्रेजी में नेट | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |
| 22 | संस्कृत | | | |
| | सहायक प्रोफेसर | | 1. 55% अंकों के साथ संस्कृत में एम.ए. 2. संस्कृत में नेट | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |
| 23 | कन्नड़ | | | |
| | सहायक प्रोफेसर | | 1. 55% अंकों के साथ कन्नड़ में एम.ए. 2. कन्नड़ में नेट | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |
| 24 | उड़िया | | | |
| | सहायक प्रोफेसर | | 1. 55% अंकों के साथ उड़िया में एम.ए. 2. उड़िया में नेट | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |
| 25 | कला शिक्षा | | | |
| | सहायक प्रोफेसर | | 1. 55% अंकों के साथ कला (ललित कला/ दृश्य कला) में एम.ए. 2. कला (ललित कला/ दृश्य कला) में नेट | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |

| क्रम सं | पद | | अनिवार्य अर्हताएँ | वांछनीय अर्हताएँ |
|---------|-----------------|--|--|------------------------|
| 26 | कला | रंगमंच/ अभिनय कला | | |
| | सहायक प्रोफ़ेसर | | 1. 55% अंकों के साथ रंगमंच/अभिनय कला/नृत्य में स्नातकोत्तर डिग्री 2. कला में नेट | एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) |
| 27 | भाषा शिक्षा | हिंदी/ अंग्रेजी / उर्दू /संस्कृत | | |
| | सहायक प्रोफ़ेसर | | 1. 55% अंकों के साथ एम.एड./ एम.ए. (शिक्षा) 2. 55% अंकों के साथ हिंदी/ अंग्रेजी/ उर्दू/ संस्कृत में एम.ए. 3. शिक्षा में नेट | |

| क्रम सं | पद | | अनिवार्य अर्हताएँ | वांछनीय अर्हताएँ |
|---------|---|--|--|---|
| 28 | कंप्यूटर विज्ञान/ सॉफ्टवेयर निर्माण | | | |
| | प्रोफेसर | | <p>1. कंप्यूटर विज्ञान/कंप्यूटर अनुप्रयोग/ कंप्यूटर अभियांत्रिकी/ कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर</p> <p>2. कंप्यूटर विज्ञान/ कंप्यूटर अनुप्रयोग/ कंप्यूटर अभियांत्रिकी/ कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में पीएच.डी.</p> <p>अथवा</p> <p>i. अभ्यर्थी के उद्योग और व्यवसाय से होने की स्थिति में, निम्नलिखित अपेक्षाएं अनिवार्य होंगी:</p> <p>1 प्रथम श्रेणी के साथ अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में मास्टर डिग्री;</p> <p>2 व्यावसायिक कार्य का अनुभव जो महत्वपूर्ण हो और जो अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में पीएच.डी. डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त हो, तथा 10 वर्ष का औद्योगिक / व्यावसायिक अनुभव जिनमें से कम से कम 5 वर्ष अनुभव वरिष्ठ स्तर पर एसोसिएट प्रोफेसर/ सहायक प्रोफेसर का हों</p> | <p>सॉफ्टवेयर / हार्डवेयर के रखरखाव/ डेटा बेस / नेटवर्किंग में अनुभव। शैक्षिक नवाचार में योगदान, नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों की अभिकल्पना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया।</p> <p>एक प्रतिष्ठित संगठन में शिक्षण, अनुसंधान औद्योगिक और / या व्यावसायिक अनुभव;</p> <p>प्रकाशित कार्य जैसे अनुसंधान पत्र, पंजीकृत/प्राप्त एकस्व, पुस्तकें और/अथवा तकनीकी रिपोर्ट;</p> <p>प्रयोजना कार्य के मार्गदर्शन/स्नातकोत्तर/अनुसंधान छात्रों का शोध-प्रबंध अथवा उद्योग में अनुसंधान एवं विकास परियोजना के पर्यवेक्षण का अनुभव।</p> <p>अकादमिक, अनुसंधान, औद्योगिक और/अथवा व्यावसायिक कार्यकलापों के नियोजन और आयोजन में प्रदर्शित नेतृत्व; और प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परामर्श और संबंधित कार्यकलापों के प्रारंभ/नेतृत्व करने की क्षमता</p> |

| क्रम सं | पद | | अनिवार्य अर्हताएँ | वांछनीय अर्हताएँ |
|---------|---------------------|--|---|---|
| 29 | उद्यमिता और प्रबंधन | | | |
| | प्रोफेसर | | <p>1. व्यापार प्रबंधन/ प्रशासन में स्नातकोत्तर या प्रथम श्रेणी स्नातक और व्यावसायिक रूप से अर्हता प्राप्त संबद्ध सांविधिक निकाय का चार्टरित लेखाकार/लागत एवं निर्माण लेखाकार/कंपनी सचिव</p> <p>2. उद्यमिता में विशेषज्ञता के साथ पीएच.डी या भारतीय प्रबंधन संस्थान या ए.आई.सी.टी.ई से मान्यता प्राप्त और ए.आई.यू द्वारा समतुल्य घोषित संस्थान का अध्येता।</p> <p>अथवा</p> <p>ii. अभ्यर्थी के उद्योग और व्यवसाय से होने की स्थिति में, निम्नलिखित अपेक्षाएं अनिवार्य होंगी:</p> <p>iii. अभ्यर्थी के पास ऐसे व्यावसायिक कार्य का अनुभव होना चाहिए जो महत्वपूर्ण हो और जिसे राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पीएच.डी. के समकक्ष मान्यता प्राप्त हो, और 10 वर्ष का उद्योग/व्यवसाय में प्रबंधकीय अनुभव जिनमें से कम से कम 8 वर्ष एसोसिएट प्रोफेसर/ सहायक प्रोफेसर के स्तर से तुलनीय हों।</p> | <p>शैक्षिक नवाचार में योगदान, नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों की अभिकल्पना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया।</p> <p>न्यूनतम दस वर्ष का शिक्षण/उद्योग/ अनुसंधान/ व्यावसायिक अनुभव जिसमें अनुसंधान डिग्री प्राप्त करने हेतु व्यातीत अवधि के अतिरिक्त पाँच वर्ष का अनुभव रीडर या समकक्ष के स्तर का अवश्य होना चाहिए।</p> |

| क्रम सं | पद | | अनिवार्य अर्हताएँ | वांछनीय अर्हताएँ |
|---------|--|--|---|--|
| 30 | गृह विज्ञान | | | |
| | प्रोफेसर | | गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर गृह विज्ञान में पीएच.डी. | शैक्षिक नवाचार में योगदान, नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों की अभिकल्पना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। |
| 31 | जैव-विज्ञान/ जैव- प्रौद्योगिकी/ स्वास्थ्य विज्ञान /भेषजी | | | |
| | प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. जैव-विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/स्वास्थ्य विज्ञान/ भेषजी में स्नातकोत्तर 2. संबंधित/संबद्ध/ प्रासंगिक विषय-क्षेत्र में पीएच.डी. डिग्री या महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य जिसे भेषजी की उपयुक्त शाखा में विशेषज्ञता के साथ पीएच.डी. डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त हो एवं वरिष्ठ स्तर पर एसोसिएट प्रोफेसर/ सहायक प्रोफेसर से तुलनीय 10 वर्ष का औद्योगिक / व्यावसायिक अनुभव | <p>सामाजिक चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य में विशेषज्ञता।</p> <p>शैक्षिक नवाचार में योगदान, नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों की अभिकल्पना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया।</p> <p>अनुवर्ती अधिनियमों सहित समय-समय पर यथासंशोधित फार्मसी एक्ट 1948 के अंतर्गत भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण।</p> <p>किसी प्रतिष्ठित संगठन में शिक्षण, अनुसंधान औद्योगिक और/अथवा व्यावसायिक अनुभव।</p> <p>प्रकाशित कार्य जैसे शोध-पत्र, पंजीकृत/प्राप्त एकस्व, पुस्तकें और/अथवा तकनीकी रिपोर्टें, और परियोजना कार्य के मार्गदर्शन/ स्नातकोत्तर अथवा अनुसंधान छात्रों का शोध-प्रबंध अथवा उद्योग में अनुसंधान एवं विकास परियोजना के पर्यवेक्षण का अनुभव</p> <p>अकादमिक, अनुसंधान, औद्योगिक और/अथवा व्यावसायिक कार्यकलापों के</p> |

| | | | | |
|--|----------------|--|---|---|
| | | | | <p>नियोजन और आयोजन में प्रदर्शित नेतृत्व ; और प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास, परामर्श और संबंधित कार्यकलापों के प्रारंभ/ नेतृत्व करने की क्षमता।</p> <p>नोट: -चिकित्सा विषयधारा के वह अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं जिनको चिकित्सा व्यवसाय (एम.डी.) में अकादमिक डिग्री प्राप्त हो।</p> |
| | सहायक प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. जैव-विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/स्वास्थ्य विज्ञान/भेषजी स्नातकोत्तर 2. संबंधित/संबद्ध/प्रासंगिक विषय-क्षेत्र में नेट | <p>सामाजिक चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य में विशेषज्ञता। शैक्षिक नवाचार में योगदान, नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों की अभिकल्पना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया।</p> <p>अनुवर्ती अधिनियमों सहित समय-समय पर यथासंशोधित फार्मसी एक्ट 1948 के अंतर्गत भेषज के रूप में पंजीकरण। किसी प्रतिष्ठित संगठन में शिक्षण, अनुसंधान औद्योगिक और/अथवा व्यावसायिक अनुभव और सम्मेलनों में प्रस्तुत तथा प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रतिष्ठित लेख।</p> <p>नोट: -चिकित्सा विषयधारा के वह अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं जिनको चिकित्सा व्यवसाय (एम.डी.) में अकादमिक डिग्री प्राप्त हो।</p> |

| क्रम सं | पद | | अनिवार्य अर्हताएँ | वांछनीय अर्हताएँ |
|---------|---------------------|---|---|---|
| 32 | कृषि | पशु-पालन /मत्स्य- पालन/रेशम- उत्पादन | | |
| | प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. कृषि/ पशु-पालन विज्ञान/ मत्स्य-पालन/ रेशम-उत्पादन विज्ञान में स्नातकोत्तर 2. संबंधित/ संबद्ध/ प्रासंगिक विषय-क्षेत्र में पीएच.डी. डिग्री | शैक्षिक नवाचार में योगदान, नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों की अभिकल्पना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 55% अंकों के साथ कृषि/पशु- पालन विज्ञान/ मत्स्य-पालन/ रेशम-उत्पादन विज्ञान में स्नातकोत्तर 2. संबंधित/संबद्ध/प्रासंगिक विषय में पीएच.डी. डिग्री | शैक्षिक नवाचार में योगदान, नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों की अभिकल्पना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। |
| | सहायक प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 55% अंकों के साथ कृषि/पशु- पालन विज्ञान/ मत्स्य-पालन/ रेशम-उत्पादन विज्ञान में स्नातकोत्तर 2. संबंधित/संबद्ध/ प्रासंगिक विषय में नेट | शैक्षिक नवाचार में योगदान, नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों की अभिकल्पना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। |

| क्रम सं | पद | | अनिवार्य अर्हताएँ | वांछनीय अर्हताएँ |
|---------|-----------------------|---|---|--|
| 33 | यांत्रिक अभियांत्रिकी | मेकट्रॉनिक्स/ इंस्ट्रुमेंटेशन/ ऑटोमोटिव/ मैन्यूफैक्चरिंग | | |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 55% अंकों के साथ यांत्रिक अभियांत्रिकी/ इंस्ट्रुमेंटेशन / ऑटोमोटिव/मैन्यूफैक्चरिंग/ में स्नातकोत्तर डिग्री/ अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में मास्टर डिग्री संबंधित/संबद्ध/प्रासंगिक विषय-क्षेत्र में पीएच.डी. डिग्री या व्यावसायिक कार्य जो महत्वपूर्ण हों जिसे अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में पीएच.डी. डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त हो और सहायक प्रोफेसर के स्तर के समतुल्य 8 वर्ष का औद्योगिक / व्यावसायिक अनुभव | <p>शैक्षिक नवाचार में योगदान, नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों की अभिकल्पना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया।</p> <p>किसी प्रतिष्ठित संगठन में शिक्षण, अनुसंधान औद्योगिक और/अथवा व्यावसायिक अनुभव। प्रकाशित कार्य जैसे शोधपत्र, पंजीकृत/प्राप्त एकस्व, पुस्तकें और/अथवा तकनीकी रिपोर्टें; परियोजना कार्य के मार्गदर्शन/ स्नातकोत्तर/अनुसंधान छात्रों का शोध-प्रबंध अथवा उद्योग में अनुसंधान एवं विकास परियोजना के पर्यवेक्षण का अनुभव</p> |

| क्रम संख्या | पद | | अनिवार्य अर्हताएँ | वांछनीय अर्हताएँ |
|-------------|--------------------|-------------------------------------|--|---|
| 34 | सिविल अभियांत्रिकी | निर्माण / आंतरिक डिजाइन / वास्तुकला | | |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 55% अंकों के साथ सिविल अभियांत्रिकी/ निर्माण / आंतरिक डिजाइन / वास्तुकला में मास्टर/ अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में स्नातकोत्तर डिग्री संबंधित/संबद्ध/प्रासंगिक विषय में पीएच.डी. डिग्री या महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य जिसे अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में पीएच.डी. डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त हो एवं सहायक प्रोफेसर के स्तर के समतुल्य आठ वर्ष का औद्योगिक / व्यावसायिक अनुभव | <p>शैक्षिक नवाचार में योगदान, नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों की अभिकल्पना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया।</p> <p>किसी प्रतिष्ठित संगठन में शिक्षण, अनुसंधान औद्योगिक और/अथवा व्यावसायिक अनुभव; प्रकाशित कार्य जैसे शोधपत्र, पंजीकृत/प्राप्त एकस्व, पुस्तकें और/अथवा तकनीकी रिपोर्टें; परियोजना कार्य के मार्गदर्शन/स्नातकोत्तर/अनुसंधान छात्रों का शोध-प्रबंध अथवा उद्योग में अनुसंधान एवं विकास परियोजना के पर्यवेक्षण का अनुभव</p> |

| क्रम सं | पद | | अनिवार्य अर्हताएँ | वांछनीय अर्हताएँ |
|---------|--|----------------|--|---|
| 35 | इलेक्ट्रॉनिक्स/वैद्युत /सूचना प्रौद्योगिकी | नवीकरणीय ऊर्जा | | |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 55% अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी/वैद्युत / नवीकरणीय ऊर्जा में स्नातकोत्तर डिग्री/ अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में मास्टर डिग्री संबंधित/संबद्ध/ प्रासंगिक विषय में पीएच.डी. डिग्री या महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य जिसे अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में पीएच.डी. डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त हो और सहायक प्रोफेसर के स्तर के समतुल्य आठ वर्ष का औद्योगिक/व्यावसायिक अनुभव | <p>शैक्षिक नवाचार में योगदान, नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों की अभिकल्पना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया।</p> <p>किसी प्रतिष्ठित संगठन में शिक्षण, अनुसंधान औद्योगिक और/अथवा व्यावसायिक अनुभव। प्रकाशित कार्य जैसे शोधपत्र, पंजीकृत/प्राप्त एकस्व, पुस्तकें और/अथवा तकनीकी रिपोर्टें। परियोजना कार्य के मार्गदर्शन/स्नातकोत्तर/अनुसंधान छात्रों का शोध-प्रबंध अथवा उद्योग में अनुसंधान एवं विकास परियोजना के पर्यवेक्षण का अनुभव</p> |

| क्रम सं | पद | | अनिवार्य अर्हताएँ | वांछनीय अर्हताएँ |
|---------|------------------|------------------------|---|---|
| 36 | व्यापार प्रबंधन | विपणन/ खुदरा/ वित्त | | |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | <p>1. विपणन/खुदरा में व्यापार प्रबंधन/प्रशासन में स्नातकोत्तर या एआईयू द्वारा समतुल्य घोषित/एआईसीटीई/यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त दो वर्षीय पूर्णकालिक पीजीडीएम (विपणन/खुदरा) में प्रथम श्रेणी या प्रथम श्रेणी में स्नातक और व्यावसायिक रूप से अर्हताप्राप्त संबद्ध सांविधिक निकाय का चार्टरित लेखाकार/लागत एवं निर्माण लेखाकार/कंपनी सचिव।</p> <p>2. प्रासंगिक विषय में पीएच.डी. या भारतीय प्रबंधन संस्थान का अध्येता या शिक्षण उद्योग/अनुसंधान/व्यवसाय का न्यूनतम आठ वर्ष का अनुभव जिसमें अनुसंधान डिग्री प्राप्त करने हेतु व्यतीत अवधि के अतिरिक्त पांच वर्ष का अनुभव सहायक प्रोफेसर अथवा समकक्ष के स्तर का अवश्य होना चाहिए। अभ्यर्थी को व्यावसायिक कार्य का अनुभव होना चाहिए जो महत्वपूर्ण हो और राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पीएच.डी. के समकक्ष मान्यता प्राप्त हो और उद्योग/व्यवसाय में दस वर्ष का प्रबंधन अनुभव हो जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का अनुभव सहायक प्रोफेसर से तुलनीय स्तर का हो।</p> | <p>शैक्षिक नवाचार में योगदान, नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों की अभिकल्पना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया।</p> <p>किसी प्रतिष्ठित संगठन में शिक्षण, अनुसंधान औद्योगिक और/अथवा व्यावसायिक अनुभव। प्रकाशित कार्य जैसे शोधपत्र, पंजीकृत/प्राप्त एकस्व, पुस्तकें और/अथवा तकनीकी रिपोर्टें। परियोजना कार्य के मार्गदर्शन/स्नातकोत्तर/अनुसंधान छात्रों का शोध-प्रबंध अथवा उद्योग में अनुसंधान एवं विकास परियोजना के पर्यवेक्षण का अनुभव</p> |

| क्रम सं | पद | | अनिवार्य अर्हताएँ | वांछनीय अर्हताएँ |
|---------|----------------|--|--|--|
| 37 | बैंकिंग/वित्त | | | |
| | सहायक प्रोफेसर | | <p>1.55% अंकों के साथ बैंकिंग और वित्त या संबद्ध विषय में वाणिज्य/व्यापार प्रशासन में स्नातकोत्तर या प्रथम श्रेणी में स्नातक और व्यावसायिक रूप से अर्हताप्राप्त संबद्ध सांविधिक निकाय का चार्टरित लेखाकार/लागत एवं निर्माण लेखाकार/कंपनी सचिव।</p> <p>1. यूजीसी, सीएसआईआर द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) या यूजीसी द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा स्लेट (एसएलटी)/सेट (एसईटी)</p> | <p>शैक्षिक नवाचार में योगदान, नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों की अभिकल्पना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया।</p> |

| क्रम सं | पद | | अनिवार्य अर्हताएँ | वांछनीय अर्हताएँ |
|---------|---------------------------|--|---|---|
| 38 | आतिथ्य, यात्रा एवं पर्यटन | | | |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 55% अंकों के साथ व्यापार प्रशासन जिसमें यात्रा और पर्यटन में मुख्य विषय के साथ स्नातकोत्तर हो या एआईयू द्वारा समतुल्य घोषित/एआईसीटीई/ यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त यात्रा और पर्यटन में दो वर्षीय पीजीडीएम में प्रथम श्रेणी। यात्रा एवं पर्यटन में पीएच.डी या भारतीय प्रबंधन संस्थान का अध्येता | शैक्षिक नवाचार में योगदान, नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों की अभिकल्पना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। |
| | सहायक प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 55% अंकों के साथ व्यापार प्रशासन जिसमें यात्रा और पर्यटन में मुख्य विषय के साथ स्नातकोत्तर हो या एआईयू द्वारा समतुल्य घोषित/एआईसीटीई/ यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त यात्रा और पर्यटन में दो वर्षीय पीजीडीएम में प्रथम श्रेणी। यात्रा एवं पर्यटन में नेट या भारतीय प्रबंधन संस्थान के अध्येता | शैक्षिक नवाचार में योगदान, नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों की अभिकल्पना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। |

| क्रम संख्या | पद | | अनिवार्य अर्हताएँ | वांछनीय अर्हताएँ |
|-------------|---|--|---|---|
| 39 | सुरक्षा/ रक्षा विज्ञान/मिलिट्री विज्ञान | | | |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 55% अंकों के साथ सुरक्षा/ मिलिट्री विज्ञान/ रक्षा विज्ञान/ अध्ययन या संबद्ध विषय-क्षेत्रों में स्नातकोत्तर सुरक्षा/ मिलिट्री विज्ञान/ रक्षा विज्ञान/ अध्ययन या संबद्ध विषय में पीएच.डी. डिग्री। | शैक्षिक नवाचार में योगदान, नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों की अभिकल्पना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। |
| | सहायक प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 55% अंकों के साथ सुरक्षा/ मिलिट्री विज्ञान/ रक्षा विज्ञान/ अध्ययन या संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर संबंधित विषय में नेट | शैक्षिक नवाचार में योगदान, नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों की अभिकल्पना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। |
| 40 | खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रसंस्करण | | | |
| | एसोसिएट प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 55% अंकों के साथ खाद्य प्रौद्योगिकी/ गृह विज्ञान (खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रसंस्करण में विशेषज्ञता के साथ) में स्नातकोत्तर या अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में मास्टर डिग्री संबंधित विषय में पीएच.डी. डिग्री | शैक्षिक नवाचार में योगदान, नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों की अभिकल्पना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। |
| | सहायक प्रोफेसर | | <ol style="list-style-type: none"> 55% अंकों के साथ खाद्य प्रौद्योगिकी/ गृह विज्ञान (खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रसंस्करण में विशेषज्ञता के साथ) में स्नातकोत्तर या अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में स्नातकोत्तर डिग्री संबंधित विषय में नेट | शैक्षिक नवाचार में योगदान, नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों की अभिकल्पना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। |

| क्रम संख्या | पद | | अनिवार्य अर्हताएँ | वांछनीय अर्हताएँ |
|-------------|------------------------|--|---|---|
| 41 | पुस्तकालयाध्यक्ष | | <ol style="list-style-type: none"> 1. कम से कम 55% अंकों अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन होता हो प्वाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड के साथ पुस्तकालय विज्ञान/सूचनाविज्ञान/प्रलेखन विज्ञान में मास्टर डिग्री; 2. पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में कम से कम दस वर्ष का अनुभव अथवा दस वर्ष का पुस्तकालय विज्ञान में सहायक/एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में शिक्षण का अनुभव अथवा दस वर्ष का महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष का अनुभव 3. पुस्तकालय में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के एकीकरण सहित नवाचारी पुस्तकालय सेवा का साक्ष्य 4. पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/ प्रलेखन /अभिलेखागार और पांडुलिपि रख-रखाव में पीएच.डी. डिग्री | |
| 42 | सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष | | <ol style="list-style-type: none"> 1. कम से कम 55% अंकों के साथ पुस्तकालय विज्ञान, सूचना विज्ञान या प्रलेखन विज्ञान में मास्टर डिग्री या समकक्ष व्यावसायिक डिग्री. 2. पुस्तकालय के कंप्यूटरीकरण के ज्ञान सहित निरंतर उत्तम अकादमिक रिकॉर्ड 3. संबंधित विषय में नेट | पुस्तकालय में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के एकीकरण सहित नवाचारी पुस्तकालय सेवा का साक्ष्य |

सामान्य शर्तें/अनुदेश

| | | |
|-----|---|----------------------------------|
| 1. | पात्र और इच्छुक अभ्यर्थी एनसीईआरटी की वेबसाइट www.ncert.nic.in के माध्यम से घोषणाएँ-रिक्तियाँ-शैक्षणिक में ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदनों के प्रस्तुतीकरण के किसी अन्य माध्यम/प्रकार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन पंजीकरण का कार्यक्रम इस प्रकार है :- | |
| 1.1 | एनसीईआरटी वेबसाइट www.ncert.nic.in पर ऑनलाइन पंजीकरण का प्रारंभ | 29/06/2020 |
| 1.2 | ऑनलाइन पंजीकरण तथा ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि | 03/08/2020 साँय 05.00 बजे तक। |
| 2. | पद के लिए आवेदन देने से पूर्व, अभ्यर्थी का एक वैध ई-मेल एवं मोबाइल न. आईडी होना अनिवार्य है जिसके माध्यम से वह ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर पंजीकरण कर सके। | |
| 3. | अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे एनसीईआरटी की वेबसाइट www.ncert.nic.in देखें जहां सम्पूर्ण विज्ञापन, पात्रता मानदण्ड से संबंधित विवरण, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, ऑनलाइन पंजीकरण तथा सामान्य शर्तें उपलब्ध हैं। | |
| 4. | आवेदन शुल्क : आवेदक अनारक्षित (पुरुष)/अ.पि.व. (पुरुष)/ई.डब्ल्यू.एस.(पुरुष) ऑनलाइन के भुगतान माध्यम से रु. 1000/- (हजार रूपए मात्र) के शुल्क का भुगतान करें। किसी अन्य प्रकार के माध्यम से भुगतान स्वीकृत नहीं होगा। अ. जा./अ.ज.जा/निशक्तजन/महिला को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। विनिर्धारित शुल्क के बिना आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। एक बार भुगतान किए जा चुके शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इस शुल्क को किसी अन्य परीक्षा अथवा चयन हेतु आरक्षित रखा जाएगा। | |
| 5. | अभ्यर्थी पंजीकरण करने के लिए अपना विवरण भरें तथा फिर वेबसाइट पर उपलब्ध अनुदेशों के अनुसार उचित स्थानों पर ऑनलाइन आवेदन पत्र में ध्यानपूर्वक जानकारी भरें। | |
| 6. | सितारा (*) चिह्न वाले कॉलम अनिवार्य हैं तथा अभ्यर्थी को उन्हें भरना आवश्यक है। अपेक्षित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात् "सबमिट" बटन पर क्लिक करें। तथापि, 'सबमिट' बटन पर क्लिक करने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि किसी प्रकार के परिवर्तन अपेक्षित नहीं हैं और प्रदान की गई सूचना सही और अंतिम है। आवेदन के प्रस्तुत करने (सबमिशन) के पश्चात् किसी प्रकार के परिवर्तनों पर विचार नहीं किया जाएगा। | |
| 7. | ऑनलाइन आवेदन में विवरण भरते समय अभ्यर्थी अपनी स्कैन की गई नवीन/अद्यतन रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो, आवेदक के हस्ताक्षर एवं समस्त संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करें। अभ्यर्थियों को स्वतः जनित भरे हुए आवेदन प्ररूप का प्रिंट आउट लेना होगा। विज्ञापित पदों के अभ्यर्थियों को रिकॉर्ड हेतु आवेदन के साथ दस्तावेज की विधिवत् फोटोकॉपी का सेट रखना होगा और लघुसूची में यदि नाम आता है तो साक्षात्कार के समय इसे प्रस्तुत करना होगा। | |
| 8. | यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए आवेदन करने का इच्छुक है तो उसे प्रत्येक आवेदित पद के लिए पृथक ऑनलाइन आवेदन तथा प्रत्येक आवेदित पद के लिए अपेक्षित शुल्क का भुगतान करना होगा। सभी ऑनलाइन आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण रूप से भरे जाने चाहिए। एक आवेदक की ओर से प्रत्येक पद के लिए केवल एक ही आवेदन को स्वीकार किया जाएगा। | |
| 9. | आवेदन के किसी अन्य माध्यम/तरीके को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह विज्ञापन के अनुसार पात्रता की सभी शर्तें पूरी करता हो। | |

| | |
|-----|---|
| 10. | अभ्यर्थी को पात्रता मानदण्ड पूरा करना होगा तथा आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को अपनी पात्रता संबंधी सूचना उपलब्ध करवानी होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि तक अपेक्षित शैक्षिक अर्हता प्राप्त नहीं की है/नहीं करेंगे, वे पात्र नहीं होंगे और आवेदन न दें। आवेदन के प्रस्तुतीकरण के पश्चात अभ्यर्थी को अपने आवेदन में कोई अन्य दस्तावेज जोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। |
| 11. | अभ्यर्थियों का पंजीकरण/प्रवेश अनंतिम रहेगा चूंकि उनकी पात्रता का सत्यापन केवल साक्षात्कार के समय उनके मूल दस्तावेजों से किया जाएगा। केवल सत्यापन के लिए बुलावा-पत्र जारी होना आवेदकों की अभ्यर्थिता की स्वीकृत का सूचक नहीं होगा। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अथवा कार्यभार ग्रहण के पश्चात् भी यदि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी भ्रामक अथवा किसी भी स्तर पर पात्रता मानदण्ड के अनुरूप नहीं पाई जाती तो पंजीकृत अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता को अस्वीकार कर दिया जाएगा। |
| 12. | निशक्तजन (पी.डब्ल्यू.डी.) जिनकी निशक्तता <u>चालीस प्रतिशत से कम</u> है, उन पर विचार नहीं किया जाएगा। निशक्तता प्रमाणपत्र केन्द्रीय या राज्य सरकारी अस्पताल द्वारा गठित सक्षम चिकित्सा बोर्ड से प्राप्त होगा। अतएव, ऐसे व्यक्तियों को भारत सरकार के नियमों के अनुसार संबंधित वर्ग के शारीरिक निशक्तता के विनिर्धारित मानदण्डों को पूरा करना चाहिए। |
| 13. | चयन/भर्ती प्रक्रिया के बारे में अद्यतन जानकारी रखने हेतु आवेदकों के हित में यह सलाह दी जाती है किसी भी अन्य अनुदेश/जानकारी के लिए नियमित रूप से हमारी वेबसाइट www.ncert.nic.in देखते रहें। |
| 14. | ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए दूरभाष न. 011-26592153/207 एवं 011-26592187 पर आवेदन की अंतिम तिथि तक संपर्क कर सकते हैं अथवा वांछित जानकारी आप email advertisement171@gmail.com पर भी भेज कर प्राप्त कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के अलावा अन्य किसी प्रकार की पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा। |
| 15. | अभ्यर्थियों के नाम परिषद की वेबसाइट पर दस्तावेज और पात्रता सत्यापन के लिए दर्शाए जाएंगे। पात्रता का सफलतापूर्वक सत्यापन करने के पश्चात् लघुसूचीबद्ध अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए अनुमति दी जाएगी। लघु सूचीबद्ध गैर-स्थानीय अभ्यर्थी यात्रा भत्ता के भुगतान के हकदार होंगे जो तृतीय श्रेणी वातानुकूलित तक (राजधानी, शताब्दी आदि जैसी विशेष गाड़ियों के अलावा) का रेल किराया अथवा वास्तविक किराया, जो भी कम हो, तक सीमित होगा। साक्षात्कार की अनुसूची में किसी परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे आवेदकों जिन्हें सत्यापन हेतु नहीं बुलाया गया उनसे किसी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा। |
| 16. | चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम एनसीईआरटी की वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा। परिषद अभ्यर्थियों के साथ भर्ती प्रक्रिया में उनका चयन न होने के कारणों के संबंध में कोई पत्राचार नहीं करेगी। अन्तरिम पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा। |
| 17. | केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन करें। |
| 18. | अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व.(एनसीएल)/ई.डब्ल्यू.एस/ दिव्यांग जन श्रेणी से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में यू.जी.सी./भारत सरकार/एनसीईआरटी के नियमानुसार छूट का प्रावधान होगा। |
| 19. | आवेदन प्रपत्र के जाति वर्ग के कॉलम (अ.जा., अ.ज.जा., अनारक्षित एवं अ.पि.व. (एनसीएल और ई.डब्ल्यू.एस आदि) में अपनी जाति/वर्ग अवश्य इंगित करें। जाति का कॉलम रिक्त छोड़ने पर उसे स्वतः ही अनारक्षित वर्ग के लिए आवेदन नहीं माना जाएगा और आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। |
| 20. | ई.डब्ल्यू.एस उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी से भारत सरकार /केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षण के उद्देश्य से एक वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। |

| | |
|-----|---|
| 21. | अ.पि.व.-नॉन क्रीमी लेयर वर्ग के अभ्यर्थियों को संलग्नक के अनुसार अद्यतन नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्र और स्व-घोषणा के साथ सक्षम प्राधिकारी से भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति में आरक्षण के प्रयोजन हेतु एक वैध जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवेदनों के प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं था। |
| 22. | अ.पि.व.(एन..सी एल) वर्ग के अन्तर्गत आरक्षण की सुविधा लेने के लिए अभ्यर्थी की जाति तथा समुदाय का नाम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी), भारत सरकार की वेबसाइट www.ncbc.nic.in पर उपलब्ध "अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची" में अवश्य होना चाहिए। |
| 23. | रिक्तियों की संख्या को वास्तविक आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। |
| 24. | केवल अर्हताओं तथा विज्ञापन में दी गई अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने से ही अभ्यर्थी साक्षात्कार में बुलाए जाने का हकदार नहीं बन जाता। केवल आवेदन के प्रस्तुतीकरण से ही साक्षात्कार के लिए दावा करने का अधिकार नहीं होगा। |
| 25. | एनसीईआरटी के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के लिए न्यूनतम पात्र अर्हताएं आदि का स्तर बढ़ा सकती है तथा बिना कोई कारण बताए आवेदनों को अस्वीकार /पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है। |
| 26. | एनसीईआरटी के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह सभी पदों को भरे अथवा पदों की संख्या में परिवर्तन करे अथवा बिना कोई कारण बताए तथा किसी अधिसूचना के बिना भर्ती की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दे। |
| 27. | पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, झूठी सूचना के लिए जुर्माना, चयन की विधि, साक्षात्कार का संचालन, चयन और चयनित अभ्यर्थियों को पदों के आबंटन / नियोजन से संबंधित सभी मामलों में एनसीईआरटी का निर्णय अंतिम और अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। |
| 28. | विज्ञापन में किसी प्रकार की छपाई आदि संबंधी त्रुटि होने पर एनसीईआरटी के पास आवेदनों की प्राप्ति के लिए विनिर्धारित अंतिम तिथि से पहले किसी संशोधन/परिवर्धन का बदलाव /अंतर्विष्ट करने का अधिकार सुरक्षित है। अभ्यर्थियों को की सलाह दी जाती है कि वे किसी भी प्रकार कि परिवर्तन कि जानकारी के लिए वेब साइट देखें www.ncert.nic.in |
| 29. | किसी या सभी पदों के लिए चयन समिति गठित करने/न करने का अधिकार एनसीईआरटी के पास सुरक्षित रहेगा। |
| 30. | भर्ती के संबंध में कोई विवाद केवल दिल्ली में अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के अधीन ही होगा। |
| 31. | ध्यान दें कि एनसीईआरटी में अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। |
| 32. | प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष की आयु, अर्हता और वेतनमान एनसीईआरटी/यूजीसी/भारत सरकार के विनिमय के अनुसार समय-समय पर संशोधित प्रतिमानकों और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि को प्रभावी प्रतिमानकों के अनुसार होंगे। |
| 33. | हर हाल में सभी अभ्यर्थियों की पात्रता (अर्थात् आयुसीमा, अनिवार्य अर्हता तथा अन्य मानदण्ड आदि) के निर्धारण के लिए तिथि आवेदन के प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि होगी। |
| 34. | सरकारी, अर्ध-सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तथा स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत अभ्यर्थी उचित माध्यम से आवेदन करें। तथापि यदि वे चाहें तो अपने आवेदनों की अग्रिम प्रति एनसीईआरटी को सीधे भेज सकते हैं। यदि आवेदनों के अग्रेषण में देरी होती है तो अभ्यर्थियों को चाहिए कि यदि और जब उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए तो वे साक्षात्कार हेतु चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत होने के समय अपने विभागाध्यक्ष अथवा नियोक्ता कार्यालय जैसी भी स्थिति हो, की लिखित अनुमति अपने साथ लाएं। 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' न होने पर अभ्यर्थियों को |

| | |
|-----|--|
| | साक्षात्कार परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनको किसी प्रकार का भी यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा। |
| 35. | चयनित अभ्यर्थियों को एनसीईआरटी के किसी भी संघटक एकक में तैनात किया जा सकता है। अतः केवल वही अभ्यर्थी आवेदन करें जो भारत में कहीं भी सेवा करने के इच्छुक हों। |
| 36. | साक्षात्कार के समय प्रलेखों के सत्यापन के लिए (यदि लघुसूचीबद्ध होते हैं) सभी प्रमाणपत्र, उपाधियाँ तथा अन्य दस्तावेज की मूल प्रतियाँ ही प्रस्तुत की जाएँ। इन दस्तावेज के प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए मना कर दिया जाएगा। अतः पद के लिए आवेदन देने से पूर्व अभ्यर्थी अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें। यदि अभ्यर्थियों को अपात्र पाया जाता है तो पद के लिए उनकी अभ्यर्थिता को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। |
| 37. | जो प्रमाणपत्र न तो अंग्रेजी और न ही हिंदी में हैं, उन्हें प्राथमिकतया अंग्रेजी या हिंदी में अनूदित करवाना अपेक्षित होगा और इसे स्थानीय भाषा में प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। |
| 38. | चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति वर्ग, जाति, चरित्र एवं संबंधित प्राधिकारियों से पूर्ववत् के सत्यापन तथा समय-समय पर एनसीईआरटी द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार अन्य औपचारिकताओं के पूरा होने के अधीन होगी। |
| 39. | ऐसे मामलों में जहां अभ्यर्थी को अंकों के स्थान पर ग्रेड लैटर या ग्रेडिंग प्वाइंट्स मिले हों, उसके समतुल्य अंक उपलब्ध करवाएं तथा संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से परिवर्तन की पद्धति को स्पष्ट करने वाला प्रमाण-पत्र संलग्न करें। |
| 40. | पता/फोन सं./ईमेल में किसी भी प्रकार के उत्तरवर्ती परिवर्तन को अनुभाग अधिकारी, भर्ती-1 अनुभाग, कमरा सं.-12, 5 ^{वीं} मंजिल, जाकिर हुसैन खंड, एनसीईआरटी, नई दिल्ली-110016 को तुरंत सूचित करें। |
| 41. | अभ्यर्थी यह ध्यान दें कि आवेदन के प्रस्तुतीकरण की तिथि को उपलब्ध मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र अथवा कोई समकक्ष प्रमाण-पत्र में रिकार्ड की गई जन्मतिथि को ही एनसीईआरटी द्वारा आयु-पात्रता के निर्धारण के लिए स्वीकार किया जाएगा तथा इसमें परिवर्तन हेतु किसी उत्तरवर्ती अनुरोध पर विचार या उसे स्वीकृत नहीं किया जाएगा। |
| 42. | गलत जानकारी तथा जाली दस्तावेज को प्रस्तुत करने पर आवेदन को अस्वीकृत किया जा सकता है। |
| 43. | किसी भी प्रकार का पक्ष प्रचार निरर्हता का कारण बनेगा तथा उनकी अभ्यर्थिता को सरसरी तौर पर अस्वीकार किया जा सकता है। |
| 44. | यदि कोई अभ्यर्थी एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। |
| 45. | अंतिम क्षणों में होने वाली भागदौड़ से बचने के लिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे पहले ही आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन देते समय नेटवर्क की किसी समस्या अथवा किसी अन्य तकनीकी मामले में समस्या के लिए एनसीईआरटी उत्तरदायी नहीं होगी। |
| 46. | दस्तावेज और पात्रता की जाँच के समय आवेदन की सुविधापूर्ण छानबीन हेतु अभ्यर्थियों को अपने आवेदन को संलग्नकों सहित उचित पृष्ठ संख्या एवं अनुक्रमणिका के साथ तैयार करने की सलाह भी दी जाती है। |
| 47. | चयन प्रक्रिया में हुई असावधानीपूर्वक गलती जिसका नियुक्ति पत्र के जारी होने के बाद तक अथवा दस्तावेज के सत्यापन आदि जैसी नियुक्ति की औपचारिकताओं को पूरा करने के दौरान किसी भी स्तर पता लगता है तो ऐसे मामले में एनसीईआरटी को अभ्यर्थियों से किए गए पत्राचार को संशोधित/वापस लेने/खारिज करने का अधिकार |

| | |
|-----|--|
| | सुरक्षित रहेगा। |
| 48. | <p>सरकारी, अर्ध-सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और स्वायत्त संगठनों में सेवारत अभ्यर्थी उचित माध्यम से आवेदन करें और निम्नवत् प्ररूप के अनुसार अपने वर्तमान नियोक्ता से अनुमति पत्र प्रस्तुत करें :-</p> <p>श्री/श्रीमती/सुश्री इस संगठन में की हैसियत में से तक कार्यरत हैं और संस्थान/संगठन को उनके द्वारा एनसीईआरटी में आवेदित पद पर विचार किए जाने संबंधी उनकी अभ्यर्थिता पर कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>स्थान : संस्थान के अध्यक्ष के हस्ताक्षर दिनांक : नाम : फैक्स : पदनाम : ई-मेल : पता :</p> <p>(कार्यालय मुहर)</p> |

अवर सचिव
भर्ती अनुभाग-1
टेलीफोन सं. 01126592187

अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए घोषणा का प्रपत्र (जाति प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त)

मैं पुत्र/पुत्री श्री

गाँव/शहर/नगर..... जिला राज्य का/की निवासी

एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंसमुदाय से संबंधित हूँ जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना (एससीटी) दिनांक 08.09.1993 में निहित आदेशों के अनुसार भारत सरकार ने सेवाओं में आरक्षण प्रयोजन के लिए पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह भी घोषणा की जाती है कि अंतिम तिथि को मैं उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08.09.1993, का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004 स्था.(निवासी) दिनांक 09 मार्च 2004, का०ज्ञा०सं० 36033/3/2004-स्था.(निवासी) दिनांक 14 अक्टूबर 2008, का०ज्ञा०सं० संख्या 36033/3/2013-स्था.(निवासी), दिनांक 27 मई, 2013 और का.ज्ञा.सं. 36033/1/2013-स्था. (निवासी), दिनांक 13 सितम्बर, 2017 में अनुसूची के कॉलम- 3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूँ।

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पता

.....